

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-716

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विद्युत मांग में कमी

716. श्री मलूक नागर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में विद्युत की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान देश भर में विद्युत की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विद्युत की मांग में कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): जी नहीं। पिछले एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विद्युत की मांग बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक) की तुलना में वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक) के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति और पिछले वर्ष 2022 (अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 तक) की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2023-24 (अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 716 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2021-22 (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक) की तुलना में वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक) के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे

(आंकड़े एमयू निवल में)						
क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023		अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022		परिवर्तन %	
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(%)
उत्तरी क्षेत्र	463,088	458,640	417,934	413,915	10.8	10.8
पश्चिमी क्षेत्र	475,743	475,157	429,065	428,683	10.9	10.8
दक्षिणी क्षेत्र	371,467	370,900	350,678	350,421	5.9	5.8
पूर्वी क्षेत्र	182,791	180,888	164,054	162,973	11.4	11
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	18,758	18,680	18,079	18,033	3.8	3.6
अखिल भारतीय	1,511,847	1,504,264	1,379,812	1,374,024	9.6	9.5

पिछले वर्ष 2022 (अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 तक) की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2023 (अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति

(आंकड़े एमयू निवल में)						
क्षेत्र	अप्रैल, 2023 - अक्टूबर, 2023		अप्रैल, 2022 - अक्टूबर, 2022		परिवर्तन %	
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(%)
उत्तरी क्षेत्र	302,137	300,889	297,268	294,208	1.6	2.3
पश्चिमी क्षेत्र	300,251	299,936	269,359	268,874	11.5	11.6
दक्षिणी क्षेत्र	244,141	243,915	210,868	210,312	15.8	16.0
पूर्वी क्षेत्र	123,055	122,197	116,275	114,941	5.8	6.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	12,649	12,407	11,673	11,615	8.4	6.8
अखिल भारतीय	982,233	979,344	905,443	899,950	8.5	8.8

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-734

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

ऊर्जा भंडारण प्रणाली

734. श्री रवनीत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत संचयी संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;
- (घ) क्या ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा अक्षय ऊर्जा प्रणाली की ओर परिवर्तित होने में तेजी लाने में मदद करेगी; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां, सरकार ने देश में ऊर्जा पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास और परिनियोजन के लिए अगस्त, 2023 में 'ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा' जारी की है।

(ख) और (ग) : जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 31.10.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 425.5 गीगावॉट की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में से कुल 186.46 गीगावॉट (43.8%) गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता संस्थापित की गई है।

(घ) और (ङ) : भारत का ऊर्जा मिश्रण भविष्य में जीवाश्म ईंधन स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की प्रधानता से गैर जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों में पारगमन करने के लिए तैयार है। तथापि, सौर और पवन ऊर्जा चौबीसों घंटे उपलब्ध नहीं होती है। जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से आरई स्रोतों में पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरई को प्रेषण योग्य और चौबीसों घंटे उपलब्ध करना महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा का भंडारण करके इस लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा भंडारण प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तब होता है जब आसमान में सूर्य न दिखाई देता हो अथवा हवा में बहाव न हो।

वे आरई परिवर्तनशीलता को पता लगाने, ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने, ऊर्जा/पीक शिफ्टिंग को सुविधाजनक बनाने, सहायक सहायता सेवाएं प्रदान करने और आरई के और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने में भी सहायता करते हैं। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा फ्रेमवर्क से सभी के लिए सस्ती, स्वच्छ, विश्वसनीय और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विद्युत की गारंटी देने हेतु, अपेक्षाओं और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर ऊर्जा भंडारण के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित होगा और इससे प्रोत्साहित होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-754

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

झारखंड में बिजली की मांग

754. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में बिजली की खपत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) झारखंड में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा देशभर में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित/अनुमोदित की गई हैं;
- (घ) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है। झारखंड सहित पूरे देश में आपूर्ति की गई विद्युत के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) : किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी द्वारा विद्युत की आपूर्ति और वितरण का प्रबंधन किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे विद्युत आवंटित की जा रही है। भारत सरकार ने 1648 मेगावाट का निश्चित हिस्सा और केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों से झारखंड राज्य को पूर्वी क्षेत्र के अनावंटित पूल से 167 मेगावाट आवंटित किया है। झारखंड की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने एनटीपीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के नॉर्थ कर्णपुरा विद्युत संयंत्र के संयुक्त उद्यम के माध्यम से पतरातू विद्युत संयंत्र का निर्माण करके क्षमता अभिवृद्धि की शुरुआत की है। झारखंड राज्य को पतरातू विद्युत संयंत्र से 3400 मेगावाट और नॉर्थ कर्णपुरा विद्युत संयंत्र (यूनिट #2 और #3) से 333 मेगावाट आवंटित की गई है।

(ग) से (ङ) : पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 और चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 (अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक की अवधि) के दौरान झारखंड सहित देश में स्थापित विद्युत परियोजनाओं और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 754 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

झारखंड सहित देश में आपूर्ति की गई विद्युत के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023 (अप्रैल-अक्टूबर)
चंडीगढ़	1523	1606	1788	1187
दिल्ली	29555	31122	35133	24007
हरियाणा	53108	55209	60945	41687
हिमाचल प्रदेश	10130	12088	12542	7436
जम्मू व कश्मीर	17222	18434	19322	11009
पंजाब	58377	62411	69220	47498
राजस्थान	85205	89310	100057	60590
उत्तर प्रदेश	123383	128310	143050	97362
उत्तराखंड	13818	15426	15386	9342
उत्तरी क्षेत्र	392323	413915	458640	300889
छत्तीसगढ़	30449	31872	38979	23409
गुजरात	111622	123666	137916	86923
मध्य प्रदेश	83437	86455	91969	54553
महाराष्ट्र	150663	172809	186461	120579
दमन और दीव	2223	2594	9960	5889
दादरा एवं नगर हवेली	5497	6839		
गोवा	4083	4448	4674	2977
पश्चिमी क्षेत्र	387975	428683	475157	299936
आंध्र प्रदेश	62076	68219	71893	48265
तेलंगाना	66994	70523	77799	47869
कर्नाटक	68831	72417	75663	52189
केरल	25102	26570	27726	17787
तमिलनाडु	101189	109798	114722	75661
पुदुचेरी	2644	2893	3050	2115
लक्षद्वीप	56	56	64	37
दक्षिणी क्षेत्र	326836	350421	370900	243915
बिहार	34018	35761	38762	27333
दामोदर घाटी निगम	21368	23736	26330	15958
झारखंड	9675	10590	12288	8519
ओडिशा	29848	38332	42584	25956
पश्चिम बंगाल	51543	53945	60274	44119
सिक्किम	546	609	587	272
अंडमान और निकोबार	323	327	348	215
पूर्वी क्षेत्र	146999	162973	180888	122197
अरुणाचल प्रदेश	714	874	892	571
असम	9815	10825	11465	8137
मणिपुर	969	1018	1014	546
मेघालय	2005	2243	2237	1113
मिजोरम	723	644	645	369
नागालैंड	822	851	873	569
त्रिपुरा	1481	1578	1547	1096
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16531	18033	18680	12407
अखिल भारतीय	12,70,663	1374024	1504264	979345

देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे:

भारत में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची (दिनांक 01-11-2023 तक)					
क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय क्षेत्र					
1	बाढ़ एसटीपीपी चरण-I	बिहार	एनटीपीसी	यू -3	660
2	बक्सर टीपीपी	बिहार	एसजेवीएन	यू-1	660
				यू -2	660
3	नार्थ कर्णपुरा एसटीपीपी	झारखंड	एनटीपीसी	यू -2	660
				यू -3	660
4	पतरातू एसटीपीपी	झारखंड	पीवीयूएनएल	यू-1	800
				यू -2	800
				यू -3	800
5	तालचेर टीपीपी चरण -III	ओडिशा	एनटीपीसी	यू-1	660
				यू -2	660
6	लारा एसटीपीपी चरण -II	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	यू-1	800
				यू -2	800
7	घाटमपुर टीपीपी	उत्तर प्रदेश	एनयूपीपीएल	यू-1	660
				यू -2	660
				यू -3	660
8	खुर्जा एससीटीपीपी	उत्तर प्रदेश	टीएचडीसी	यू-1	660
				यू -2	660
9	तेलंगाना एसटीपीपी चरण - I	तेलंगाना	एनटीपीसी	यू -2	800
कुल केंद्रीय क्षेत्र					12720
राज्य क्षेत्र					
1	डॉ.नारला टाटा राव टीपीएस चरण-V	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको	यू-1	800
2	जवाहरपुर एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
				यू -2	660
3	ओबरा-सी एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
				यू -2	660
4	पनकी टीपीएस एक्सटेंशन	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660
5	एन्नोर एससीटीपीपी	तमिलनाडु	टैजेडको	यू-1	660
				यू -2	660
6	उत्तरी चेन्नई टीपीपी चरण-III	तमिलनाडु	टैजेडको	यू-1	800
7	उडानगुडी एसटीपीपी चरण-I	तमिलनाडु	टैजेडको	यू-1	660
				यू -2	660
8	भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	महाजेनको	यू-6	660
9	सागरदिघी टीपीपी चरण -III	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूपीडीसीएल	यू-1	660
10	यदाद्री टीपीएस	तेलंगाना	टीएसजेनको	यू-1	800
				यू -2	800
				यू -3	800
				यू-4	800
				यू-5	800
कुल राज्य क्षेत्र					12860
कुल जोड़					25580

कार्यान्वयनाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की क्षेत्र-वार सूची

	परियोजना का नाम (कार्यान्वयन एजेंसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	केंद्रीय क्षेत्र			
1	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश/असम	8x250	2000.00
2	पार्वती चरण II (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	4x200	800.00
3	लुहरी-I (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	2x80+2x25	210.00
4	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	2x33	66.00
5	पकल दुल (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x250	1000.00
6	कीरू (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x156	624.00
7	तीस्ता चरण VI (एनएचपीसी)	सिक्किम	4x125	500.00
8	विष्णुगड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	4x111	444.00
9	नैटवार मोरी (एसजेवीएनएल)	उत्तराखंड	2x30	30.00
10	तपोवन विष्णुगड (एनटीपीसी)	उत्तराखंड	4x130	520.00
11	टेहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	उत्तराखंड	4x250	1000.00
12	रम्मम-III (एनटीपीसी)	पश्चिम बंगाल	3x40	120.00
13	रंगित-IV (एनएचपीसी)	सिक्किम	3x40	120.00
14	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x205 + 1x30	850.00
15	क्वार (सीवीपीपीएल)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	4x135	540.00
16	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	हिमाचल प्रदेश	4x73+1x73+1x17	382.00
17	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश	12x240	2880.00
18	लता तपोवन (एनटीपीसी)	उत्तराखंड	3x57	171.00
उप-जोड़: केंद्रीय क्षेत्र				12257.00
	राज्य क्षेत्र			
19	पोलावरम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	12x80	960.00
20	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	असम	2x55+2x2.5+1x5	120.00
21	यूएचएल-III (बीवीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x33.33	100.00
22	शौंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x150	450.00
23	परनाई (जेकेएसपीडीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	3x12.5	37.50
24	पल्लीवासल (केएसईबी)	केरल	2x30	60.00
25	शोटियार (केएसईबी)	केरल	1x30+1x10	40.00
26	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	पंजाब	3x33+3x33+1x8	206.00
27	कुंडाह पंप भंडारण चरण- I, II और III)	तमिलनाडु	4x125	500.00
28	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	हिमाचल प्रदेश	3x16	48.00
29	मनकुलम (केएसईबी)	केरल	2x20	40.00
30	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	उत्तराखंड	3x100	300.00
31	लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	2x115	230.00
32	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	2x24	48.00
33	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी,महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	2x40	80.00
उप-जोड़: राज्य क्षेत्र				3219.50
कुल जोड़:				15476.50

निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की सूची				
क्र.सं.	जेनेरेटर का नाम	विकासकर्ता	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	काकरापारा एपीएस यूनिट 4	एनपीसीआईएल	गुजरात	700
2	राजस्थान एपीएस यूनिट 7	एनपीसीआईएल	राजस्थान	700
3	राजस्थान एपीएस यूनिट 8	एनपीसीआईएल	राजस्थान	700
4	कुडनकुलम यूनिट 3	एनपीसीआईएल	तमिलनाडु	1000
5	पीएफबीआर न्यू यूनिट 1	भाविनी	तमिलनाडु	500
6	कुडनकुलम यूनिट 4	एनपीसीआईएल	तमिलनाडु	1000
7	कुडनकुलम यूनिट 5	एनपीसीआईएल	तमिलनाडु	1000
8	कुडनकुलम यूनिट 6	एनपीसीआईएल	तमिलनाडु	1000
9	गोरखपुर यूनिट 1	एनपीसीआईएल	हरियाणा	700
10	गोरखपुर यूनिट 2	एनपीसीआईएल	हरियाणा	700
कुल				8000

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-764

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण

764. श्री जानेश्वर पाटिल:

श्री नायब सिंह सैनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कोई सकारात्मक कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक जनगणना 2011 के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के 422 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। हरियाणा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के शुभारंभ से पूर्व सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो गए थे। गांवों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता सुधारने के उद्देश्य से दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की गई थी।

उदय स्कीम (खंड 7) के दिनांक 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय जापन के अनुसार -

- i. राज्य उपयुक्त सीमा तक बाजार में अथवा सीधे डिस्कॉमों के कर्ज की उधारियों के धारक संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को एसडीएल (राज्य विकास ऋण) बांड सहित गैर-एसएलआर (सांविधिक लिक्विडिटी अनुपात) बाँड जारी करेगा। राज्य द्वारा डिस्कॉमों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए बाँड से वसूली गई प्राप्तियों की संपूर्ण राशि अंतरित की जाएगी, जो इससे बैंक/वित्तीय संस्थाओं के कर्ज के समतुल्य राशि की अदायगी करेगी।
- ii. राज्य द्वारा जारी किए गए गैर-एसएलआर बाँड की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष होगी और मूल राशि के पुनर्भुगतान पर, राज्य द्वारा यथा अपेक्षित, 5 वर्ष तक का प्रतिबंध होगा।

उदय स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए बाँड का सार **अनुबंध-II** पर संलग्न है। इन बाँड्स की परिपक्वता अवधि राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है और यह 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच है।

उदय के अंतर्गत कुल 27 राज्यों (ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) और 5 संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 16 राज्यों (नामत: झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, तेलंगाना और तमिलनाडु) ने व्यापक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चार वर्षों के लिए ऋण का वित्तीय पुनर्गठन और भावी हानियों का अधिग्रहण शामिल था। अन्य 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (नामत: गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव, पुदुचेरी और लक्षद्वीप) ने केवल प्रचालनात्मक सुधारों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या		
		ग्रिड	ऑफ-ग्रिड	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	928	555	1483
2	असम	2338	394	2732
3	बिहार	2699	207	2906
4	छत्तीसगढ़	605	473	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28	-	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	75	54	129
7	झारखंड	2335	248	2583
8	कर्नाटक	12	27	39
9	मध्य प्रदेश	389	33	422
10	महाराष्ट्र	37	43	80
11	मणिपुर	267	99	366
12	मेघालय	969	82	1051
13	मिजोरम	54	-	54
14	नागालैंड	78	-	78
15	ओडिशा	2882	399	3281
16	राजस्थान	334	93	427
17	त्रिपुरा	26	-	26
18	उत्तर प्रदेश	1467	31	1498
19	उत्तराखंड	67	24	91
20	पश्चिम बंगाल	22	-	22
	कुल	15612	2762	18374

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 764 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उदय स्कीम के अंतर्गत जारी बांड का सारांश

क्रम सं.	राज्यों के नाम	दिनांक 30-09-2015 तक डिस्कॉमों पर देयताएं (एमओयू के अनुसार)	दिनांक 30-09-2015 तक डिस्कॉमों पर देयताओं का पुनर्गठन किया जाएगा	राज्य द्वारा अब तक जारी किये गये कुल बांड	डिस्कॉम द्वारा अब तक जारी किए गए कुल बांड	उदय के अंतर्गत अब तक जारी किए गए कुल बांड	शेष बांड राज्य द्वारा जारी किये जायेंगे	शेष बांड डिस्कॉम द्वारा जारी किए जाएंगे
1	आंध्र प्रदेश	14721	14721	8256	0	8256	0	6465
2	असम	1510	सरकार द्वारा कोई बांड जारी नहीं किया गया है। असम के राज्य ने अनुदान और इक्विटी के रूप में हानि को अपने ऊपर ले लिया।					
3	बिहार	3109	3109	2332	777	3109	0	0
4	छत्तीसगढ़	1740	870	870	0	870	0	0
5	हरियाणा	34602	34518	25951	0	25951	0	8566
6	हिमाचल प्रदेश	3854	3854	2891	0	2891	0	963
7	जम्मू एवं कश्मीर	3538	3538	3538	0	3538	0	0
8	झारखंड	6718	6136	6136	0	6136	0	0
9	मध्य प्रदेश	34739	7360	7360	0	7360	0	0
10	महाराष्ट्र	22097	6613	4960	0	4960	0	1653
11	मेघालय	167	167	125	0	125	0	42
12	पंजाब	20838	20262	15629	0	15629	0	4633
13	राजस्थान	80530	76120	59722	12368	72090	0	4030
14	तमिलनाडु	30420	30420	22815	0	22815	0	7605
15	तेलंगाना	11897	11244	8923	0	8923	0	2321
16	उत्तर प्रदेश	53935	50125	39133	10377	49510	0	616
कुल		324415	269057	208641	23522	232163.29	0	36894.35
पुनर्गठित किए जाने वाले कुल ऋणों में से जारी किए गए बांडों का %						86%		
टिप्पणी - राज्य - गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ने उदय के अंतर्गत केवल प्रचालन मापदंडों को चुना है, इसलिए, उनका ऋण राज्य द्वारा नहीं लिया गया।								

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-781

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना

781. श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना सौभाग्य योजना शुरू की गई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) क्या देश में निर्धारित समय और लक्ष्यों के अनुसार सभी घरों को विद्युत सुविधा प्रदान की जा रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार के पास उन राज्यों से संबंधित आंकड़े/जानकारी है जहां उक्त योजना में काफी प्रगति हुई है और वहां घरों में विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस संबंध में कुछ राज्यों में किस हद तक प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्न थीं:

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।
- (ii) दूरस्थ और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों, जहां ग्रिड का विस्तार संभव अथवा लागत प्रभावी नहीं है, के लिए सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन प्रणालियां प्रदान करना।

(iii) शहरी क्षेत्रों में सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। ऐसे शहरी घरों, जो गरीब नहीं हैं, को इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

(ख) से (ड) : सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों द्वारा दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित गैर-विद्युतीकृत 4.43 लाख अतिरिक्त घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए थे। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2022 तक कुल 2.86 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए थे। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एक प्रमाण पत्र लिया गया था कि सभी पात्र घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। शामिल किए गए घरों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 781 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घर उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त स्वीकृति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अधिक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507#	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
कुल		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

एपीडीसीएल द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक समापन के अनुसार 381507 घरों का विद्युतीकरण किया गया है और संशोधित समापन के अनुसार 368610 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। तथापि, असम राज्य के अतिरिक्त घरों के डीडीयूजीजेवाई के संबंध में अंतिम समापन को अभी अनुमोदन दिया जाना है।

*सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-792

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन

792. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों एवं शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की थी।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों ने सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी। दिनांक 31.03.2021 तक कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने सूचना दी कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 4.43 लाख अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण किया गया है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सौभाग्य के शुरू होने के बाद से कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

सौभाग्य स्कीम तथा डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त घरों) के अंतर्गत, कुल 6,819.4 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया जा चुका है तथा ये स्कीमें अब बंद हो चुकी हैं। चूंकि, नए घरों का निर्माण एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, इसलिए राज्यों को भावी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।

केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की चल रही स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2019 (सौभाग्य के कार्यान्वयन की अवधि) से पहले अभिचिन्हित, छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को समर्थन दे रही है। अब तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य हेतु विद्युतीकरण के लिए छूटे हुए लगभग 4.96 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	प्रस्तावित घरों की संख्या	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
राजस्थान	1,90,959	459.18
उत्तर प्रदेश	2,99,546	338.46
आंध्र प्रदेश	5,577	16.00

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से, कमजोर आदिवासी समूहों के सभी छूटे हुए घरों को पीएम जनमन के अंतर्गत मिशन मोड में विद्युतीकृत किया जाएगा। इस मिशन हेतु वित्तपोषण आरडीएसएस से प्रदान किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-801

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

बिजली पर राजसहायता

801. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को डिस्कॉम के बढ़ते घाटे की जानकारी है जो पिछले दो दशकों में सुधार कार्यक्रमों और वित्तीय पुनर्गठन पैकेजों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021 में बढ़कर 66 प्रतिशत हो गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उपभोक्ताओं की कितनी राजसहायता प्रदान की गई है और उनकी संख्या कितनी है तथा गत पांच वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों को कितना घाटा हुआ है;
- (घ) क्या सरकार कम प्रदूषण फैलाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत प्रेषण के माध्यम से लागत कम करके चरणबद्ध तरीके से बिजली सब्सिडी समाप्त करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का पूरे देश में एक समान बिजली दरें सुनिश्चित करने के लिए 'एक राष्ट्र एक बिजली प्रशुल्क' नीति लाने का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : डिस्कॉमों की हानियां काफी हद तक कम हो गई हैं और सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण विद्युत क्षेत्र व्यवहार्य हो गया है। इनमें शामिल हैं:

- i. सरकार द्वारा घोषित किसी भी सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना।
- ii. यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ अद्यतित हैं।
- iii. विलंब भुगतान अधिभार को कम करना।
- iv. यह सुनिश्चित करना कि जेनकोज को समय पर भुगतान किया जाता है।
- v. ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना।
- vi. संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड स्थापित करना बशर्ते कि यदि डिस्कॉम्स हानियों में चल रही हैं, तो राज्य सरकार का कोई भी डिस्कॉम या जेनको, पीएफसी/आरईसी से ऋण प्राप्त करने में तब तक सक्षम नहीं होगा, जब तक कि डिस्कॉम, राज्य सरकार की मंजूरी लेकर, हानियों में कमी के लिए योजना तैयार

नहीं करता है और इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, और हानियों में कमी संबंधी ट्रेजेक्ट्रियों का पालन नहीं करता है।

- vii. यदि डिस्कॉम हानियों को कम करने के उपाय करता है, तो जीडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- viii. डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत अधिक घाटे वाले क्षेत्रों में कवर्ड वायर की व्यवस्था।
- ix. बशर्ते कि हानि में चल रहे डिस्कॉम भारत सरकार की किसी भी विद्युत क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत तब तक धन नहीं निकाल पाएंगी, जब तक कि वे हानि में कमी के लिए उपाय नहीं करेंगे।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियां, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21.61% थीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 16.42% हो गई हैं।

(ड) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारित करता है। टैरिफ के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और टैरिफ नीति मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है।

वर्तमान में पूरे देश में विद्युत का एक समान मूल्य निर्धारण लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार पावर एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। दिन के एक विशिष्ट काल खंड के लिए पावर एक्सचेंज पर एक समान टैरिफ की खोज की जाती है। तदनुसार, इस सीमा तक, पावर एक्सचेंजों से वितरण यूटिलिटी द्वारा खरीदी गई विद्युत के लिए, बाजार विभाजन के मामले को छोड़कर, विद्युत की कीमत एक समान रहती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-839

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन इकाइयों की स्थापना

839. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में जिला-वार ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जिला-वार कितने ताप विद्युत संयंत्रों में फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) इकाइयां संस्थापित हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र में राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों ने अभी तक एफजीडी इकाइयां स्थापित नहीं की हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एफजीडी इकाइयों की स्थापना के अनुपालन को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : बिहार में 6 ताप विद्युत संयंत्र (कुल संस्थापित क्षमता - 9070 मेगावाट) हैं। जिले-वार सूची अनुबंध-I पर संलग्न है।

(ख) : 10 ताप विद्युत संयंत्र (10,600 मेगावाट क्षमता की कुल 24 इकाइयां) हैं जिनमें फ्ल्यू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) इकाइयां संस्थापित की गई हैं। जिलेवार सूची अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(ग) : जी हां, महाराष्ट्र में राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के कुछ ताप विद्युत संयंत्र एफजीडी इकाइयों की संस्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) से (च) : सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए, ताप विद्युत संयंत्र फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण संस्थापित कर रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 05.09.2022 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए अभ्यर्पित नहीं किए गए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO₂ अनुपालन हेतु निम्नलिखित समयसीमा निर्दिष्ट की है:

क्र.सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समयसीमा
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार)	31 दिसंबर, 2024 तक
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों (सीपीसीबी द्वारा परिभाषित) के 10 किमी के दायरे में	31 दिसंबर, 2025 तक
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र	31 दिसंबर, 2026 तक

निर्दिष्ट समय सीमा के बाद गैर-अनुपालन के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभ्यर्पित नहीं किए गए ताप विद्युत संयंत्रों पर निम्नलिखित पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया है:

समयसीमा के बाद गैर-अनुपालक प्रचालन	पर्यावरणीय मुआवजा (रुपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और उसके बाद	0.40

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 839 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बिहार में ताप विद्युत संयंत्रों की सूची

क्रम सं.	जिला का नाम	क्षेत्र	संगठन	ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	औरंगाबाद	केंद्रीय	एनटीपीसी-जेवी	बीआरबीसीएल, नबी नगर ताप विद्युत स्टेशन	1000
2		केंद्रीय	एनटीपीसी	नबी नगर सुपर ताप विद्युत स्टेशन	1980
3	बेगुसराय	केंद्रीय	एनटीपीसी	बरौनी ताप विद्युत स्टेशन	720
4	पटना	केंद्रीय	एनटीपीसी	बाढ़ सुपर ताप विद्युत संयंत्र	2640
5	भागलपुर	केंद्रीय	एनटीपीसी	कहलगांव सुपर ताप विद्युत संयंत्र	2340
6	मुजफ्फपुर	केंद्रीय	एनटीपीसी	मुजफ्फपुर ताप विद्युत स्टेशन (एनटीपीसी कांती)	390
कुल					9070

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 839 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत में ताप विद्युत संयंत्रों की सूची जहां एफजीडी संस्थापित किया जाना है

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	संगठन	जिला	यूनिट सं.	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	महात्मा गांधी टीपीएस	हरियाणा	निजी	झज्जर पावर	झज्जर	1	660.00
						2	660.00
2	दादरी (एनसीटीपीपी)	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	गौतमबुद्ध नगर	1	210.00
						2	210.00
						3	210.00
						4	210.00
						5	490.00
3	ऊंचाहार टीपीएस	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	रायबरेली	6	500.00
4	आईटीपीसीएल टीपीपी	तमिलनाडु	निजी	आईटीपीसीएल	कुड्डालोर	1	600.00
						2	600.00
5	मुंद्रा टीपीएस	गुजरात	निजी	एपीएल	कच्छ	7	660.00
						8	660.00
						9	660.00
6	खरगोन एसटीपीपी	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	पश्चिमी निमाड़	1	660.00
						2	660.00
7	विंध्याचल एसटीपीएस	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	सिंगरौली	13	500.00
8	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	महाराष्ट्र	निजी	जेएसडब्ल्यू	रत्नागिरि	1	300.00
						2	300.00
						3	300.00
						4	300.00
9	दहानू टीपीएस	महाराष्ट्र	निजी	एपीएल	पालघर	1	250.00
						2	250.00
10	ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	निजी	टाटा पीसीएल	मुंबई	5	500.00
						8	250.00
कुल						24	10600

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-846

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता

846. श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को विश्वनीय बिजली उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ विद्युत की पहुंच बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य ने वर्ष 1987 तक 100% ग्राम विद्युतीकरण हासिल कर लिया था। राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण किया जाता है। भारत सरकार द्वारा सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पिछली विभिन्न स्कीमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के माध्यम से राज्यों की सहायता की गई है और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से राज्यों की सहायता की जा रही है। डीडीयूजीजेवाई के तहत केरल में वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक कुल 136193 बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया था। नए घरों का निर्माण गतिशील और सतत प्रक्रिया है, डिस्कॉमों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कनेक्शन चाहने वालों को कनेक्शन दिया जाए।

इसके साथ-साथ, ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए पीवीटीजी विकास मिशन हेतु पीएम-जनमन (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत सभी अभिचिन्हित लाभार्थी घर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे।

(ख) और (ग) : दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में 3058.35 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी क्षमता स्थापित की गई है जिसमें 858.68 मेगावाट की सौर ऊर्जा, 1864.15 मेगावाट की बृहत जल विद्युत, 62.50 मेगावाट की पवन विद्युत, 270.52 मेगावाट की लघु जल विद्युत और 2.50 मेगावाट की जैव विद्युत शामिल हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-847

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

बीईएसएस के लिए योजना

847. श्री ए.गणेशमूर्ति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) विकसित करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना को अनुमोदित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इससे कार्बन उत्सर्जन में और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) अगले पांच वर्षों के दौरान व्यस्ततम समय की मांग के दौरान बिजली वितरण कंपनियों को बीईएसएस से दी जाने वाली अधिशेष ऊर्जा की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ख) : जी, हां। मंत्रिमंडल ने दिनांक 06.09.2023 को हुई अपनी बैठक में 4,000 एमडब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किया। इस स्कीम के अंतर्गत, 3 वर्ष (वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) की अवधि के दौरान परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2030-31 तक निधियों का वितरण 5 किशतों में किया जाएगा। 4,000 एमडब्ल्यूएच की बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए वर्ष 2023-26 की अवधि के दौरान बीईएसएस प्रणाली की लागत 2.40 से 2.20 करोड़ रुपये/एमडब्ल्यूएच की रेंज में होने का अनुमान है जो कि 3,760 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 9,400 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत में परिवर्तित हो जाती है।

केंद्र सरकार द्वारा बीईएसएस के लिए पूंजीगत लागत का 40% तक की सीमा तक वीजीएफ प्रदान किया जाएगा। बीईएसएस के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों का चयन स्कीम और बोली दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा आयोजित की जाने वाली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) से (घ) : 4,000 एमडब्ल्यूएच के कार्यान्वयन से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के साथ बीईएसएस को चार्ज करने पर विचार करते हुए कार्बन उत्सर्जन (सीओ₂) में लगभग 1.3 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की वार्षिक कमी होने की अपेक्षा है। इससे डिस्कॉमों और अन्य लाभार्थियों के उपयोग के लिए उनके विशिष्ट उपयोग प्रवृत्तियों के आधार पर, व्यस्ततम घंटों के दौरान 4,000 एमडब्ल्यूएच तक ऊर्जा उपलब्ध होगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-848

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

जल विद्युत उत्पादन

848. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में जल विद्युत की अपार संभावनाओं के बावजूद अपेक्षित मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान में खोजी गई और दोहन की गई जल विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य के निमित्त देश में जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (बिलियन यूनिट में)	वास्तविक उत्पादन (बिलियन यूनिट में)	लक्ष्य के निमित्त उपलब्धि
2020-21	140.4	150.3	+7.1%
2021-22	149.5	151.6	+1.4%
2022-23	150.7	162.1	+7.6%
2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)	114.2	102.3	-10.4%

इस प्रकार, जलविद्युत उत्पादन लगातार लक्ष्य से अधिक रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान, यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जुलाई, 2023 के दौरान बाढ़ तथा अक्तूबर, 2023 के दौरान सिक्किम में विनाशकारी बाढ़, जिसने योजना के अनुरूप उत्पादन को प्रभावित किया, के कारण कम है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017-2023 की अवधि के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में उपयोग योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,33,410 मेगावाट है, जिसमें से 42,105 मेगावाट का उपयोग किया जा चुका है।

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जल विद्युत क्षमता और इसके विकास की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ग) : भारत सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। ये उपाय न केवल भावी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में मदद करेंगे बल्कि उत्पादन को भी बढ़ाएंगे। किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

- i. बृहत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना
- ii. जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) की अधिसूचना
- iii. जल विद्युत परियोजनाओं और पंपड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार से छूट
- iv. प्रारंभिक वर्षों के दौरान टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण के उपाय
- v. जल विद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक हेतु बजटीय सहायता
- vi. सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु बजटीय सहायता
- vii. जल विद्युत परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र अभियंताओं एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति का पैनल बनाना
- viii. पम्पड भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 10.04.2023 को दिशानिर्देश जारी करना।

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बृहत जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति

(संस्थापित क्षमता के संदर्भ में - 25 मेगावाट से अधिक)

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार उपयोग योग्य चिह्नित क्षमता	प्रचालन में क्षमता	सक्रिय निर्माणाधीन क्षमता	वह क्षमता जिस पर निर्माण कार्य रुका हुआ है	सीईए द्वारा एचई परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की गई है और अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया गया है	सीईए में जांच के अधीन एचई परियोजनाएं	एचई परियोजनाएं प्राधिकारियों को वापस लौटा दी गईं	सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन एचई परियोजनाएं	विकास के लिए आवंटित एचई परियोजनाएं जिन पर एसएंडआई रुका हुआ है/अभी तक शुरू नहीं किया जाना है
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र									
जम्मू एवं कश्मीर	12265	3360	3052	48	3119	0	390	1060	370
लद्दाख	707	89	0	0	0	0	0	95	0
हिमाचल प्रदेश	18305	10263	2446	44	937	0	400	1144	2700
पंजाब	1301	1096	206	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	411	411	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	13481	3975	1324	247	815	0	939	732	628
उत्तर प्रदेश	502	502	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	46971	19696	7028	339	4871	0	1729	3031	3698
पश्चिमी क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	2819	2235	0	400	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1311	120	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	550	550	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	3144	2647	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	7824	5552	0	400	0	0	0	0	0
दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	2596	1610	1190	0	0	0	0	0	0
तेलंगाना	1302	800	0	0	0	0	320	0	0
कर्नाटक	4414	3689	0	0	0	0	665	0	0
केरल	2473	1864	140	0	0	0	0	800	0
तमिलनाडु	1785	1778	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	12570	9742	1330	0	0	0	985	800	0
पूर्वी क्षेत्र									
झारखंड	300	210	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	130	0	0	0	0	0	130	0	0
ओडिशा	2825	2155	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	809	441	120	0	0	0	0	90	0
सिक्किम	6051	2282	620	417	520	0	0	0	0
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	10115	5088	740	417	520	0	130	90	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र									
मेघालय	2026	322	0	0	85	0	0	270	170
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	615	105	0	0	0	0	0	0	0
असम	643	350	120	0	0	0	60	0	0
नागालैंड	325	75	0	0	186	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	50394	1115	4880	0	13798	0	5323	14599	1520
मिजोरम	1927	60	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	55930	2027	5000	0	14069	0	5383	14869	1690
अखिल भारतीय	133410	42105	14098	1156	19460	0	8227	18790	5388

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-849

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

पंखे और इलेक्ट्रिक स्टोव का वितरण

849. श्री राम कृपाल यादव:

डॉ. रामशंकर कठेरिया:

श्री जनार्दन मिश्र:

श्री हरीश द्विवेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम बिजली की खपत करने वाले पंखे और इलेक्ट्रिक स्टोव के वितरण से संबंधित कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत पंखे और इलेक्ट्रिक स्टोव के वितरण के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार किन-किन कंपनियों की पहचान की गई है; और

(ग) ई-कुकिंग के माध्यम से देश के गरीब परिवारों के लिए भोजन पकाने की लागत में कितनी कमी आएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के एक संयुक्त उद्यम, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), ने नवंबर, 2023 में नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम (एनईसीपी) तथा एनर्जी एफिशिएंट फैन्स प्रोग्राम (ईईएफपी) की शुरुआत की है। इन पहलों का उद्देश्य भारत में खाना पकाने के तरीकों में क्रांति लाना है तथा ऊर्जा कुशल पंखों के महत्व पर जोर देना है। ईईएसएल ने ईईएसएल पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), इंडिया पोस्ट तथा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से बीएलडीसी पंखों की चरणबद्ध बिक्री करने की योजना बनाई है।

(ग) : इंडक्शन कुक स्टोव की उच्च दक्षता के कारण एलपीजी आधारित खाना पकाने की तुलना में एक घर में लगभग 3000-4000/- रुपये की वार्षिक मौद्रिक बचत हो सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-881

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन

881. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सौभाग्य योजना के अंतर्गत अक्टूबर, 2017 से जौनपुर जिले में सभी अविद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों और गरीब शहरी परिवारों को कितने विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और
- (ख) जौनपुर जिले में कितने अविद्युतीकृत ग्रामीण और शहरी परिवार सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, जौनपुर जिले में ग्रामीण और शहरी घरों को शामिल करते हुए कुल 2,04,482 घरों को विद्युतीकृत किया गया है।

(ख) : राज्य ने सूचित किया है कि विद्युत कनेक्शन के लिए अनिच्छुक घरों के आंकड़ों का रख-रखाव सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए, दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित गैर-विद्युतीकृत घरों (सौभाग्य से पूर्व) के मामले ही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम-आरडीएसएस के अंतर्गत माने गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत जौनपुर जिले में कुल 30,055 घर विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-884

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

जल विद्युत परियोजनाओं का विकास

884. श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश भर में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में कोई नई जल विद्युत परियोजना स्थापित की है अथवा मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया है;
- (ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल विशेष रूप से वर्धमान पूर्व निर्वाचन क्षेत्र सहित इस संबंध में की गई अथवा की जा रही कार्रवाई और बनाई गई भावी योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कुल 543 मेगावाट की चार जलविद्युत परियोजनाएं और नैटवार मोरी की एक इकाई शुरू की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में लगभग 18,000 मेगावाट की 42 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में पिछले 2 वर्षों के दौरान 25 मेगावाट से अधिक की कोई भी जल विद्युत परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, वर्तमान में 120 मेगावाट की रम्मम-III परियोजना निर्माणाधीन है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1000 मेगावाट की तुर्गा पम्पड भंडारण परियोजना को सहमति दे दी गई है तथा इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। पश्चिम बंगाल राज्य में 90 मेगावाट की तीस्ता मध्यवर्ती जलविद्युत परियोजना सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन है।

भारत सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा सामना की गई समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं, जिससे पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी। इनमें से उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) बृहत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना
- (ii) जल विद्युत क्रय दायित्व की अधिसूचना
- (iii) जल विद्युत परियोजनाओं और पंपड भंडारण परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभारों से छूट
- (iv) प्रारंभिक वर्षों के दौरान टैरिफ कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय
- (v) जल विद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक हेतु बजटीय सहायता
- (vi) सक्षम अवसंरचना अर्थात् सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु बजटीय सहायता
- (vii) जल विद्युत परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र अभियंताओं एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति का पैनल बनाना
- (viii) पंपड भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 10.04.2023 को दिशानिर्देश जारी करना।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान जल विद्युत क्षमता में अभिवृद्धि

क्र. सं.	परियोजना का नाम (विकासकर्ता)	क्षेत्र	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने की तिथि
1	रॉंगनिचु एचईपी (मध्य भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	निजी	सिक्किम	1	56.5	25.06.2021
				2	56.5	30.06.2021
2	सोरांग एचईपी (हिमाचल सोरांग पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	निजी	हिमाचल प्रदेश	1	50	23.09.2021
				2	50	21.09.2021
3	बाजोली होली एचईपी (जीएमआर बाजोली होली हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड)	निजी	हिमाचल प्रदेश	1	60	25.03.2022
				2	60	27.03.2022
				3	60	28.03.2022
कुल: (2021-22)					393	

वर्ष 2022-23 के दौरान जल विद्युत क्षमता में अभिवृद्धि

क्र. सं.	परियोजना का नाम (विकासकर्ता)	क्षेत्र	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने की तिथि
4	व्यासी एचईपी (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड)	राज्य	उत्तराखंड	1	60	24.05.2022
				2	60	22.04.2022
कुल: (2022-23)					120	

वर्ष 2023-24 के दौरान जल विद्युत क्षमता में अभिवृद्धि

क्र. सं.	परियोजना का नाम (विकासकर्ता)	क्षेत्र	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने की तिथि
5	नैटवार मोरी एचईपी (एसजेवीएन लिमिटेड) (2X30 मेगावाट)	केन्द्रीय	उत्तराखंड	1	30	24.11.2023
कुल: (2023-24)					30	
कुल जोड़ (2021-22 से 2023-24 - दिसंबर, 2023 तक)					543	

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 884 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची			
क्र. सं	परियोजना का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश			
1	पोलावरम (एपीजेनको /सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	राज्य	960
2	लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजेनको)	राज्य	230
3	पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड)	निजी	1200
उप-कुल: आंध्र प्रदेश			2390
अरुणाचल प्रदेश			
4	सुबनसिरी निचला (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	2000
5	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	2880
उप-कुल: अरुणाचल प्रदेश			4880
असम			
6	निचला कोपली (एपीजीसीएल)	केन्द्रीय	120
उप-कुल: असम			120
हिमाचल प्रदेश			
7	पारबती स्ट्रीट II (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	800
8	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	210
9	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	66
10	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	382
11	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	100
12	शांगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	450
13	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	राज्य	48
14	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	150
15	कुतेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	240
16	तांगनु रोमाई (टीआरपीजी)	निजी	44
उप जोड़: हिमाचल प्रदेश			2490
जम्मू और कश्मीर			
17	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	1000
18	किरू (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	624
19	रैटल (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केंद्रीय	850
20	क्वार (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	540
21	परनाई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	38
22	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	48
उप जोड़: जम्मू और कश्मीर			3100
केरल			
23	पल्लीवासल (केएसईबी)	राज्य	60
24	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	40

25	मनकुलम (केएसईबी)	राज्य	40
	उप जोड़: केरल		140
	मध्य प्रदेश		
26	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	400
	उप जोड़: मध्य प्रदेश		400
	महाराष्ट्र		
27	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी,एमएच)	राज्य	80
	उप जोड़: महाराष्ट्र		80
	पंजाब		
28	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	206
	उप जोड़: पंजाब		206
	सिक्किम		
29	तीस्ता स्टेशन VI एनएचपीसी	केंद्रीय	500
30	रंगित-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	120
31	भस्मेय (गति इन्फ्रास्ट्रक्चर)	निजी	51
32	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	66
33	पानन (हिमगिरि)	निजी	300
	उप जोड़: सिक्किम		1037
	तमिलनाडु		
34	कुंडाह पंप भंडारण चरण-I, II और III)	राज्य	500
	उप जोड़: तमिलनाडु		500
	उत्तराखंड		
35	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	444
36*	नैटवार मोरी (एसजेवीएनएल)	केन्द्रीय	30
37	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	520
38	टेहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	1000
39	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	राज्य	300
40	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	171
41	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	76
	उप जोड़: उत्तराखंड		2541
	पश्चिम बंगाल		
42	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	120
	उप जोड़: पश्चिम बंगाल		120
	कुल:		18004
*नैटवार मोरी एचईपी की 1 इकाई (30 मेगावाट) ने दिनांक 24.11.23 को अपना सीओडी हासिल कर लिया है			

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-895

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विद्युत बाजार का आधुनिकीकरण और पुनर्गठन

895. डॉ. मनोज राजोरिया:

श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

डॉ. ढालसिंह बिसेन:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री राजेश वर्मा:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

श्री मोहनभाई कुंडारिया:

श्री दिलीप शङ्कीया:

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

श्रीमती रंजीता कोली:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से दिल्ली सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत का कितना उत्पादन किया गया है;
- (ख) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के समन्वय को और अधिक कुशलता पूर्वक समायोजित करने के लिए विद्युत बाजार पुनर्गठन में कार्यान्वित प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवाचारों संबंधी निरीक्षण का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा देश के विद्युत बाजार के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए विशेषकर विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्बाध समन्वय को सुकर बनाने और विद्युत उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार विद्युत बाजार के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है; और
- (ङ) सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों, विद्युत उपभोक्ताओं और विद्युत उत्पादन कंपनियों सहित विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक) के दौरान देश में दिल्ली सहित उत्पादित विद्युत की मात्रा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक ऊर्जा के संदर्भ में मांग 50.8 प्रतिशत बढ़ गई है। वर्ष 2013-14 में

व्यस्ततम मांग 136 गीगावाट से बढ़कर सितंबर, 2023 में 243 गीगावाट हो गई है। हम मांग में वृद्धि को पूरा करने में इसलिए सक्षम हुए हैं कि हमने वर्ष 2014 से 2023 के बीच 194 गीगावाट क्षमता जोड़ी है।

हमने, पूरे देश को एक ग्रिड और एक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ते हुए, इस अवधि के दौरान 192000 सीकेटी किलोमीटर की पारेषण लाइनें भी जोड़ी हैं।

हमने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक्सचेंज में ग्रीन डे अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जैसे नए उत्पाद प्रस्तुत किए हैं।

हम विश्व की तीव्रतम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में से एक हैं और हम दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। हमने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। आज हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 99000 मेगावाट संस्थापित की जा रही है।

हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 16.42 प्रतिशत हो गई हैं। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ से घटकर 6000 करोड़ हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉम को किया गया सब्सिडी भुगतान अद्यतित है।

एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने के लिए डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत निधियां दी गईं और चोरी को दुष्कर बनाने के लिए हानि संभावित क्षेत्रों में कवर्ड वायर लगाए गए;
- ii. ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई;
- iii. यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड संशोधित किए गए कि यदि डिस्कॉम घाटे में चल रहे हैं तो आरईसी/पीएफसी द्वारा उनको तब तक कोई ऋण न दिया जाए, जब तक कि वे हानियों को कम करने के लिए कोई योजना न बना लें, उस पर अपनी राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त न कर लें और इसे भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत न कर लें; और इन चरणों का पालन करें;
- iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सस्ती विद्युत पहले भेजी जाए, एक मेरिट ऑर्डर डिस्पैच सिस्टम स्थापित किया गया;
- v. डिस्कॉमों पर बोझ कम करने के लिए विलंब भुगतान अधिभार कम किया गया;
- vi. यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए कि यदि आपूर्ति की गई विद्युत के बदले में जेनको को भुगतान नहीं किया जाता है, तो चूक करने वाले डिस्कॉमों के क्षेत्रों की विद्युत स्वचालित रूप से काट दी जाएगी;
- vii. यदि डिस्कॉम हानियों को कम करने के उपाय करता है, तो जीडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया;
- viii. यह प्रावधान किया गया कि घाटे में चल रहे डिस्कॉमों को आरडीएसएस के अंतर्गत तब तक कोई निधियां नहीं दी जाएंगी, जब तक कि वे अपनी हानियों को कम करने के लिए उपाय नहीं करेंगे;
- ix. यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि टैरिफ अद्यतित हैं।

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, विद्युत क्षेत्र व्यवहार्य और लाभदायक बन गया है।

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के दौरान देश में वार्षिक रूप से उत्पादित विद्युत के दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	उत्पादन एमयू में					
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)
चंडीगढ़	13.51	13.33	10.16	14.19	12.61	8.73
दिल्ली	7423.68	6438.78	5730.71	5407.30	4314.50	2804.93
हरियाणा	26097.79	18050.51	15657.13	24103.15	33559.00	18342.80
हिमाचल प्रदेश	38196.48	43002.12	39633.77	38503.40	41579.93	31308.07
जम्मू एवं कश्मीर	16699.27	18537.25	17441.97	17489.83	17170.62	13209.89
लद्दाख	154.51	270.28	376.21	405.98	402.78	307.32
पंजाब	33144.86	28747.68	25606.29	31127.70	40075.40	26014.77
राजस्थान	68841.66	70291.34	70607.33	83997.41	105963.47	68911.79
उत्तर प्रदेश	128467.21	129323.42	132668.65	143159.29	163447.06	99968.15
उत्तराखंड	16100.33	17735.27	15551.31	16216.77	16369.49	11157.01
छत्तीसगढ़	116659.43	119336.93	136667.58	143213.21	144839.62	95742.91
गुजरात	110557.53	124666.25	121859.71	87886.78	95017.30	80347.46
मध्य प्रदेश	129934.92	129397.90	138084.97	143037.90	152020.26	94862.33
महाराष्ट्र	151998.66	145404.00	131805.01	153065.31	158993.39	98334.71
दादरा और नगर हवेली	5.76	6.19	11.96	49.16	30.62	16.15
दमन और दीव	18.94	21.83	40.04	47.67		
गोवा	0.00	0.82	1.46	16.82	19.96	40.77
आंध्र प्रदेश	77694.33	76936.32	66882.90	74197.52	81701.42	54718.62
तेलंगाना	56802.95	51923.14	46475.88	59279.66	63044.77	39944.96
कर्नाटक	28982.63	31114.50	34587.96	37951.72	37564.56	21690.70
केरल	770.32	804.74	1092.12	1614.62	1961.28	1406.02
तमिलनाडु	17128.37	20019.68	21891.20	24312.41	27859.52	21597.02
लक्षद्वीप	83779.62	83498.68	70077.93	82020.39	89061.67	53845.69
पुदुचेरी	49965.61	51858.96	48412.53	57188.93	56760.51	32898.77
अंडमान निकोबार	151.16	113.49	157.99	152.01	252.45	215.43
बिहार	32658.66	35719.44	34092.75	44180.23	55489.06	34643.91
झारखंड	27003.35	26247.21	27469.53	28915.39	30797.95	20728.50
ओडिशा	47477.80	49037.17	62944.21	66473.02	71529.15	41951.26
सिक्किम	9050.18	11087.98	10935.46	11506.25	11709.14	8318.54
पश्चिम बंगाल	78438.25	75786.81	77478.05	88251.70	92995.30	55283.17
अरुणाचल प्रदेश	1400.77	1788.70	3453.44	4163.41	4845.79	3329.00
असम	7245.71	8089.14	6020.52	8398.89	9153.69	5760.77
मणिपुर	604.49	370.79	629.33	462.20	486.77	189.34
मेघालय	980.04	1081.02	1208.78	886.50	1052.41	669.25
मिजोरम	208.52	227.02	192.37	165.53	266.40	123.35
नागालैंड	318.93	256.72	273.63	164.02	289.32	205.18
त्रिपुरा	6712.93	6121.04	7058.83	6339.87	7086.06	3897.81
भूटान (आयात)	4406.62	5794.48	8765.50	7493.20	6742.40	4644.00
अखिल भारत कुल जोड़	1376095.79	1389120.93	1381855.15	1491859.37	1624465.61	1047439.04

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-896

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमताएं

896. श्री तीरथ सिंह रावत:

श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री राजेश वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा विस्तार हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति क्षमता में वृद्धि करने के लिए कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त पहल से विशेषकर किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं के नाम, स्थान, क्षमता वृद्धि और उनके पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र सहित देश में विद्युत उत्पादन क्षमता/सक्षमताओं को बढ़ाने या विस्तारित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं, जिनके ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध हैं:

✓ मार्च, 2019 के दौरान, सरकार ने जल विद्युत को बढ़ावा देने संबंधी उपायों को मंजूरी दी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- बृहत जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।
- जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ)
- जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- सक्षम अवसंरचना, अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता। सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2021 को बाढ़ नियंत्रण घटक हेतु बजटीय सहायता के लिए दिशानिर्देशों के साथ-साथ अवसंरचना सक्षमीकरण लागत भी अधिसूचित की गई है।

✓ नई जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत के पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों की छूट लागू होगी, जिनके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर दिनांक 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद, दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 01.07.2028 तक 25% के चरणों में, एचईपी के लिए आईएसटीएस प्रभारों की आंशिक छूट बढ़ा दी गई है जिनके लिए निर्माण कार्य सौंपा गया है और दिनांक 30.06.2028 तक के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) : वर्ष 2014-15 से, सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2,412 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली नौ (9) जलविद्युत परियोजनाएं शुरु की गई हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	शुरु होने का वर्ष
1	जोरेथांग लूप	सिक्किम	96	2015
2	तीस्ता-III	सिक्किम	1200	2017
3	तुरियल	मिजोरम	60	2017
4	नया उम्त्रु	मेघालय	40	2017
5	दिक्छु	सिक्किम	96	2017
6	ताशिदिंग	सिक्किम	97	2017
7	पारे	अरुणाचल प्रदेश	110	2018
8	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	600	2021
9	रोंगनिचु	सिक्किम	113	2021

(घ) : वर्तमान में, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 6,037 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली (8) जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे अनुबंध-1 पर संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, जलविद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की इच्छुक कोई भी उत्पादन कंपनी, इसकी सहमति के लिए प्राधिकरण को ऐसी स्कीम तैयार और प्रस्तुत करेगी, जिसमें राशि से अधिक पूंजीगत व्यय शामिल होने का अनुमान है जिसे केंद्र सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा तय किया जा सकता है (वर्तमान में, 1,000 करोड़ रुपये)।

तदनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 17 जलविद्युत स्कीमों (14,589 मेगावाट) को सहमति प्रदान की। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	समापन का अनुमानित वर्ष
1.	तीस्ता चरण-IV	सिक्किम	520	2031-32
2.	तवांग चरण-I	अरुणाचल प्रदेश	600	2031-32 से आगे
3.	वाह-उमियाम चरण-III	मेघालय	85	2029-30
4.	तवांग चरण-II	अरुणाचल प्रदेश	800	2031-32 से आगे
5.	हियो	अरुणाचल प्रदेश	240	2028-29
6.	तातो-I	अरुणाचल प्रदेश	186	2028-29
7.	तातो-II	अरुणाचल प्रदेश	700	2031-32 से आगे
8.	डेमवे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	1750	2031-32
9.	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	1200	2031-32 से आगे
10.	टालोंग लॉंडा	अरुणाचल प्रदेश	225	2031-32
11.	एटालिन	अरुणाचल प्रदेश	3,097	2030-31
12.	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	120	2027-28
13.	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	500	2031-32 से आगे
14.	नयिंग	अरुणाचल प्रदेश	1,000	2031-32 से आगे
15.	अटुनलि	अरुणाचल प्रदेश	680	2030-31
16.	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2,700	2031-32 से आगे
17.	दिखू	नागालैंड	186	2030-31

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कार्यान्वयन के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	निष्पादन सीमा (मेगावाट)	समापन का अनुमानित वर्ष
अरुणाचल प्रदेश				
1	सुबनसिरी लोअर	केंद्रीय	2,000	2023-26 (मई, 25) ^{##}
2	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना	केंद्रीय	2,880	2031-32 (फरवरी, 32)
असम				
3	लोअर कोपीली	राज्य	120	2024-25 (मार्च, 25)
सिक्किम				
4	तीस्ता चरण-VI	केंद्रीय	500	2026-27 (अगस्त, 26)
5	रंगित-IV	केंद्रीय	120	2024-25 (अगस्त, 24)
6*	भास्मे	निजी	51	*
7*	रंगित-II	निजी	66	*
8*	पनन	निजी	300	*

##: 2 यूनिटें (500 मेगावाट) वर्ष 2023-24 के दौरान, 4 यूनिटें (1,000 मेगावाट) वर्ष 2024-25 के दौरान और शेष 2 यूनिटें (500 मेगावाट) वर्ष 2025-26 के दौरान संभावित हैं।

*परियोजना वर्तमान में रुकी हुई है।
